

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 16/2025/ सारफैरी

मुथुट हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय टी सी न. 14/2074-7, मुथुट सेन्टर, पुनेन रोड, त्रिरुवंतपुरम, केरला, शाखा कार्यालय उदयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

- जोशी विष्णु प्यारालाल पुत्र श्री प्यारा लाल जोशी निवासी-मांगथला, माणकवास, उदयपुर राजस्थान अन्य पता- लक्ष्मी डेयरी शंकर चॉल मकान न. 06, सुखरवाडी, वार्ड एमजी रोड, बोरीवली मुम्बई एवं पता खसरा न. 2347/1 ग्राम मांगथला, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली उदयपुर।
- श्रीमती इन्द्रा जोशी पत्नी श्री विष्णु जोशी निवासी ब्राहमण बस्ती मांगथला, माणकवास, उदयपुर राजस्थान

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री हुकमराज सिंह राणावत अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक... 28/01/25

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 10,08,745/- एवं 4,27,463/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (विष्णु जोशी पुत्र श्री प्यार चन्द जोशी निवासी-मांगथला, माणकवास, उदयपुर राजस्थान का एक मकान जो कि खसरा न. 2347/1 ग्राम मांगथला, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली उदयपुर रकबा 00.02 बीघा में अवस्थित है, जिसका पडौस निम्नानुसार है:-पूर्व में रोड, पश्चिम में: भूरीलाल की कृषि भूमि, उत्तर में: कन्हैयालाल का मकान, दक्षिण में: पुरणमल टांक का मकान) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 22.03.2024 तक 15,51,860.29/- रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/

जिला कलक्टर
उदयपुर

हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 10,08,745/- एवं 4,27,463/- रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 22.03.2024 तक 15,51,860.29/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी रिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद **(विष्णु जोशी पुत्र श्री प्यार चन्द जोशी निवासी-मांगथला, माणकवास, उदयपुर राजस्थान का एक मकान जो कि खसरा न. 2347/1 ग्राम मांगथला, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली उदयपुर रकबा 00.02 बीघा में अवस्थित है, जिसका पडोस निम्नानुसार है:-पूर्व में रोड, पश्चिम में: भूरीलाल की कृषि भूमि, उत्तर में: कन्हैयालाल का मकान, दक्षिण में: पुरणमल टांक का मकान)** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।




(अरविन्द कुमार पोसवाल)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर